रजिस्ट्री सं० डी०-(डी) 72 REGISTERED No.

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 213] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 14, 1974/श्रावण 23, 1896
No. 213] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 14, 1974/SRAVANA 23, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 14th August 1974

G.S.R. 368(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (2) and (3) of section 3 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) and of all other powers hereinto enabling the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 147/73-Central Excises, dated the 21st July, 1973.

[No. 131/74]

G. S. MAINGI, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 1974

सा० का० नि० 368(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 3 की उपधारा (2) और (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और उसे इस निमित्त समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 147/73–केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 21 जुलाई, 1973 को विखण्डित करती है।

[सं० 131/74]

जी० एस० मैंगी, अवर सचिव।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974